



कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मसी अधिनियम - 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर - 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोन:-0771-2444591, मो.नं.- 94255 05779, ईमेल:- cspraipur@gmail.com वेबसाइट:- www.cspc.in

कमॉक/सी.जी./फार्मा/2026/९०

रायपुर, दिनांक:- 02/03/2026

—: आवश्यक सूचना :—

फार्मासिस्टों का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अनिवार्यतः अद्यतन करने की सूचना

सन्दर्भ :-

1. फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के परिपत्र कमॉक POLICY-13014/2/ 2025-POLICY दिनांक 15/07/2025.
2. छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल का सूचना परिपत्र कमॉक/सी.जी./फार्मा/2025/321 दिनांक 03/11/2025.
3. फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के परिपत्र कमॉक 15-4/2020-PCI(Main file)/POLICY-13014/2/2025-POLICY दिनांक 06/11/2025.
4. इस कार्यालय से जारी सूचना कमॉक/सी.जी./फार्मा/2025/352 दिनांक 19/11/2025

===== 000 =====

फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई-दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों के माध्यम से फार्मसी अधिनियम, 1948 की धारा 15(A) के तहत सेण्ट्रल रजिस्टर के लिए फार्मासिस्टों का डाटा-बेस अपडेट करने एवं इस काउन्सिल में पंजीकृत फार्मासिस्टों के डाटा के लिए मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. को अपडेट करने के लिए सूचना प्रसारित की गई थी, जिसका अवलोकन करें। तत्सम्बन्ध में इस कार्यालय से दिनांक 19/11/2025 को सूचना जारी की गई थी।

अतः छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल में पंजीकृत समस्त फार्मासिस्टों को पुनः सूचित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के वेबसाइट के न्यूज एण्ड मिडिया पेज में उपलब्ध लिंक <https://cspc.in/update-reg-info-s1.php> में जाकर निःशुल्क अपना मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी दिनांक 31/03/2026 तक अनिवार्यतः अपडेट करें।

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल के डाटा में फार्मासिस्ट का अद्यतन मोबाईल नम्बर एवं ईमेल आई.डी. नहीं होने पर फार्मासिस्ट स्वयं उत्तरदायी होंगे।


02/03/2026

(अश्वनी गुर्देकर)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)